फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 130/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/178)
श्री नारायणलाल मेघवाल व अन्य बनाम समस्त ग्रामवासी सुरजगढ़ जरिये प्रतिनिधि</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>06.09.2024</td><td>
उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री संजय सेन - वकील अपीलार्थी
2. श्री शिवनारायण जाट - वकील प्रत्यर्थी-1 से 7
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-8
अनवान
1. श्री नारायणलाल पिता श्री मथरालाल मेघवाल, निवासी करेडिया, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती खुमाणी देवी पत्नि श्री नारायणलाल मेघवाल, निवासी करेडिया, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
अपीलार्थी
बनाम
समस्त ग्रामवासियान सुरजगढ़ तहसील भदेसर जरिये प्रतिनिधि-
1. श्री सुरेन्द्रसिंह पिता श्री अमरसिंह राजपूत, निवासी सुरजगढ़।
2. श्री नारायणसिंह पिता श्री चतरसिंह राजपूत, निवासी सुरजगढ़।
3. श्री मोड़सिंह पिता श्री चतरसिंह राजपूत, निवासी सुरजगढ़।
4. श्री दुर्गासिंह पिता श्री मोड़सिंह राजपूत, निवासी सुरजगढ़।
5. श्री शम्भुसिंह पिता श्री हरिसिंह राजपूत, निवासी सुरजगढ़।
6. श्री मदनसिंह पिता गोपालसिंह राजपूत, निवासी सुरजगढ़।
7. श्री उदयसिंह पिता श्री भैरूसिंह राजपूत, निवासी सुरजगढ़।
8. सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
प्रत्यर्थी
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 24/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2013, बनउनवानी समस्त ग्रामवासी सुरजगढ़ बनाम श्री नारायणलाल मेघवाल व अन्य

<u>निर्णय</u>
दिनांक 06.09.2024
उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 24/2013 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2013, बनउनवानी समस्त ग्रामवासी सुरजगढ़ बनाम श्री नारायणलाल मेघवाल व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।
प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-
• उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत तहसील भदेसर के ग्राम करेडिया के आराजी संख्या 62मी रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थीगण को जरिये मिसल संख्या 12/2013 दिनांक 12.04.2013 से किया।
• उक्त आवंटन को निरस्त कराने बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 130/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/178) **श्री नारायणलाल मेघवाल व अन्य बनाम समस्त ग्रामवासी सुरजगढ़ जरिये प्रतिनिधि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि आवंटन), नियम, 1970 के पेश कर उक्त आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2017 उपरोक्त आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष मयाद बाधित अपील दिनांक 26.7.2018 को पेश की गई। राजस्व ग्रुप-6 विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की पालना में उक्त प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को स्थानान्तरित हुआ। तत्पश्चात कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश दिनांक 28.01.2021 की अनुपालना में उक्त प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया जिसके प्रकरण संख्या 125/2021 हुए और यह प्रकरण दिनांक 22.07.2021 को अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण आदेश दिनांक 14.06.2024 से पुनः नम्बर पर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 05.09.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, आपत्तियों एवं गुणावगुण पर बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 08.08.2024 को सुनी गई। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 7 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, परन्तु यह पक्षकारान के लिये साक्ष्य एकत्रित करने के समान होने के कारण इस न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त किया जाना उचित नहीं पाया जाता है क्योंकि सभी दस्तावेज पत्रावलियों पर उपलब्ध है और प्रस्तुत कर दिये गये है। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन प्रस्तुत किये है** कि अपीलार्थीगण को उक्त भूमि का विधिवत आवंटन किया गया। आवंटन के समय सलाहकार समिति की अनुशंषा प्राप्त की गई। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है। उक्त आवंटन आनन फानन में नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। अपीलार्थी उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है, जिसकी खसरा गिरदावरी पेश की गई। अपीलार्थी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी ससमय नहीं हो सकी, जिससे जानकारी होते ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आवंटन को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया। **प्रत्यर्थी-1 से 7 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों के खण्डन में जवाब प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम, प्रारम्भिक आपत्ति एवं गुणावगुण पर बहस में प्रस्तुत किया कि** अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी ससमय थी, उसके द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषप्रद व पर्याप्त नहीं है, ऐसे में उक्त अपील मयाद बाधित होने से इसी बिन्दु पर खारिज योग्य है। आवंटन से पूर्व उदघोषणा जारी नहीं की गई। उक्त भूमि गैर काबिल काश्त पहाड़ी होने से आवंटन से बाधित थी। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा इस संबंध में अपनी टिप्पणी में अवगत कराया गया। अपीलार्थी भूमिहीन व्यक्ति नहीं है, इस संबंध में आवंटन पत्रावली पर जांच रिपोर्ट अंकित है। आवंटित भूमि प्रतिबंधित भूमि है, जिसे आवंटित नहीं की जा सकती है। जो खसरा गिरदावरी पेश की गई है, वह आवंटन निरस्त होने के बाद की गई। आवंटन निरस्ती के आदेश की पालना नहीं होने से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 130/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/178) **श्री नारायणलाल मेघवाल व अन्य बनाम समस्त ग्रामवासी सुरजगढ़ जरिये प्रतिनिधि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का बेचान अन्य व्यक्ति को कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय समक्ष वास्तविक तथ्य पेश नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच उपरान्त हर बिन्दु पर अपना विनिश्चय करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से उसे यथावत रखा जावें और अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। अधिवक्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2023(2) पेज 1177 पेश किया। **प्रत्यर्थी-8 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता** द्वारा अपने कथन प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवंटप आदेश का निरस्त करने का आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई जो आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।** जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत हम यहां सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक समझते है। मयाद के बिन्दु पर अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपने अपने कथन प्रस्तुत किये जिसमें अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश ससमय जानकारी नहीं होने का प्रमुख उज्र प्रस्तुत किया जिसके खण्डन के अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 7 द्वारा अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी आरम्भ से होने का कथन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दौराने बहस सभी पक्षकारान उपस्थित रहे, जिसका अंकन अपीलाधीन निर्णय में किया गया है। यह प्रकट करता है कि उक्त कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थीगण को आरम्भ से थी। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विधिक प्रावधानों अनुसार विलम्ब हेतु प्रत्येक दिवस के क्या कारण रहे है, स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। न ही अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा कई मामलों में यह दृष्टांत प्रतिपादित किये है कि अपीलार्थी द्वारा अपील दायर करने में हुई देरी बाबत औचित्यपूर्ण, सत्य, विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को संतुष्ट किया जाना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में मयाद को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने बाबत जो कारण प्रस्तुत किये है, वह संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। निर्णय की सटीक जानकारी हेतु रेकर्ड से परे जाकर अभिवचन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 130/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/178) **श्री नारायणलाल मेघवाल व अन्य बनाम समस्त ग्रामवासी सुरजगढ़ जरिये प्रतिनिधि**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन करना/वर्णित करना कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इस प्रकार से बिलम्ब को उपशमन किये जाने के लिए कोई पर्याप्त उचित कारण नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच पाता हूँ कि अपीलार्थी देरी से प्रस्तुत की गई अपील को अंदर मयाद शुमार कराने हेतु प्रार्थना पत्र असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013 के दौरान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत तहसील भदेसर के ग्राम करेडिया के आराजी संख्या 62मी रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थीगण को जरिये मिसल संख्या 12/2013 दिनांक 12.04.2013 से किया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने बाबत प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 के पेश कर उक्त आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.10.2017 उपरोक्त आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम करेडिया की आराजी संख्या 62मी रकबा 40 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा भूमि हेतु आवेदन किया। जिस भू-अभिलेख निरिक्षक द्वारा टिप्पणी/अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया कि आराजी संख्या 62मी की किस्म पहाड़ीया है जो नाकाबिल काश्त है और प्रार्थी के पास उसके संयुक्त खाते की 5.05 बीघा भूमि उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार द्वारा तस्दीक दी गई। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण भूमिहीन कृषक नहीं है, उसके पास पूर्व से ही भूमि उपलब्ध है, जिसका अंकन आवेदन में भी किया गया है। आवंटन हेतु आवेदन प्रशासन गांवों के संग अभियान में प्रस्तुत किया गया और उक्त आवंटन बिना उदघोषणा के किया गया, जबकि आवंटन पूर्व इस हेतु उदघोषणा किया जाना प्रावधित है। प्रमुख तथ्य यह है कि उक्त भूमि पहाड़ी होकर नाकाबिल काश्त है जिसका आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है, जो आवंटन योग्य नहीं है। न ही उक्त भूमि नियम 1970 के नियम 4 के तहत आवंटन एवं नियमन योग्य होती है। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। इन्ही तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) पर प्रत्येक बिन्दु पर एवं अपीलार्थीगण के समस्त उज्र पर अपना विनिश्चय करते हुए एक विधिक निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 7 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन उपरान्त यह न्यायालय पाता है कि उक्त न्यायिक दृष्टात में वर्णित स्थिति एवं हस्तगत प्रकरण की विधिक स्थिति सुसंगत होने से उक्त दृष्टात	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 130/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/178)
श्री नारायणलाल मेघवाल व अन्य बनाम समस्त ग्रामवासी सुरजगढ़ जरिये प्रतिनिधि</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>इस प्रकरण पर लागु होता है।

परिणामतः अपील अपीलान्ट मयाद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2017 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर</td><td></td></tr>
</table>